

- * विद्यालयों के संस्था-प्रधानों द्वारा उनके विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा जमा करवाये गये परीक्षा फॉर्म एवं फीस दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को जिले के निर्धारित परीक्षा केन्द्राधीक्षक को जमा करवाना होगा।
- * आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र यथा आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST), निःशक्तता का प्रमाण-पत्र एवं कक्षा-7 की अंक तालिका की प्रमाणित छाया प्रति अवश्य संलग्न करनी होती है।
- * आवश्यक प्रमाण-पत्र के संलग्न नहीं करने की स्थिति में परीक्षार्थी को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी स्वयं की होगी।
- * अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्रों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र सीधे ही संस्थान (एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर) को प्रेषित नहीं किये जाएँ। ऐसा करने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा।
- * निजी विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय व अन्य आवासीय विद्यालयों के छात्र N.M.M.S. परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर सकते हैं।

रोल नम्बर का आवंटन :

रोल नम्बर का आवंटन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम नोडल अधिकारी द्वारा निम्नानुसार किया जाता है।

योजना का कोड	राज्य कोड	वर्ष	केन्द्र कोड क्रमांक	नामांक
--------------	-----------	------	---------------------	--------

12 डिजिट रोल नम्बर का उदाहरण जैसे अजमेर-

3	3	0	1	9	0	1	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

योजना का कोड राज्य का कोड वर्ष केन्द्र कोड क्रमांक नामांक

परीक्षा परिणाम :

परीक्षा परिणाम फरवरी माह में घोषित किया जाता है व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम को घोषित परिणाम दिया जाता है ताकि वे पात्रता की जाँच करें SBBJ/SBI में खाते खुलवाएँ, आधार कार्ड बनवाएँ एवं बैंक अकाउंट नम्बर व आधार नम्बर की DEO प्रथम द्वारा सीडिंग करवाकर सूचना जून माह में एसआईईआरटी को प्रेषित करें व साथ में छात्र का कक्षा 8 का प्रगति-पत्र व क्लेम बिल संस्था प्रधान के पास भिजवावें।

गत वर्षों में NMMS में चयनित विद्यार्थियों का विवरण

S.No.	Year	Selected			Total
		General	SC	ST	
1.	2009	233	45	17	295
2.	2010	86	20	18	124
3.	2011	26	54	9	89
4.	2012	101	153	22	276
5.	2013	122	96	33	251
6.	2014	2048	635	184	2867
7.	2015	3661	910	236	4807
8.	2016	3277	898	200	4375
9.	2017	3940	875	488	5303
10.	2018	3940	875	656	5471

NMMS स्कीम में राज्य का कोटा 5471 है, जिसमें राज्य के अनुसार आरक्षण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	वर्ग	प्रतिशत	निःशक्त वर्ग सहित कुल	निःशक्त वर्ग 3 प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	16	875	26
2.	अनुसूचित जनजाति	12	656	20
3.	सामान्य वर्ग	72	3940	118
	योग	100	5471	164

जिलेवार छात्रवृत्ति हेतु कोटा

क्र.सं.	जिला	कोटा	क्र.सं.	जिला	कोटा
1.	अजमेर	184	18.	जालौर	120
2.	अलवर	345	19.	झालावाड़	98
3.	बाँसवाड़ा	131	20.	झुंझुनूं	259
4.	बारों	110	21.	जोधपुर	202
5.	बाड़मेर	145	22.	करौली	123
6.	भरतपुर	239	23.	कोटा	160
7.	भीलवाड़ा	170	24.	नागौर	278
8.	बीकानेर	141	25.	पाली	180
9.	बून्दी	97	26.	राजसमन्द	94
10.	चित्तौड़गढ़	101	27.	सवाईमाधोपुर	110
11.	चूरु	196	28.	सीकर	316
12.	धौलपुर	166	29.	सिरोही	80
13.	दौसा	100	30.	श्रीगंगानगर	167
14.	डूंगरपुर	109	31.	टोंक	108
15.	हनुमानगढ़	179	32.	उदयपुर	194
16.	जयपुर	473	33.	प्रतापगढ़	65
17.	जैसलमेर	31		कुल	5471

नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (N.M.M.S.) योजना 2019

प्रायोजक

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (M.H.R.D.)
भारत सरकार, नई दिल्ली

आयोजक

NMMS प्रकोष्ठ, विज्ञान एवं गणित विभाग
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
(S.I.E.R.T.), उदयपुर



संरक्षक

श्री दिनेश कोठारी, RAS
निदेशक, S.I.E.R.T., उदयपुर

मुख्य मार्गदर्शक

श्री सुभाष शर्मा

उप निदेशक, विज्ञान एवं गणित विभाग, S.I.E.R.T., उदयपुर

मार्गदर्शक

श्रीमती आशा माण्डावत
व.व्या., विज्ञान एवं गणित विभाग
S.I.E.R.T., उदयपुर

प्रभारी अधिकारी

श्री जगदीश चन्द्र टाँक
से.नि.प्रधानाचार्य, विज्ञान एवं गणित विभाग
S.I.E.R.T., उदयपुर

प्रभारी एवं सम्पादक

श्री हितेन्द्र सोनी
व्याख्याता, विज्ञान एवं गणित विभाग
S.I.E.R.T., उदयपुर

श्रीमती अंजली भटनागर
व्याख्याता, विज्ञान एवं गणित विभाग
S.I.E.R.T., उदयपुर

नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कोलरशिप (N.M.M.S.) योजना

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत नेशनल मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना NMMS शीर्षक से वर्ष 2008 से प्रारम्भ की गई है। NMMS परीक्षा के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 के उत्तीर्ण 1,00,000 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जिनके अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1,50,000 रु. से अधिक नहीं हो, को चार वर्ष तक (कक्षा IX से XII) छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

उद्देश्य :

- * राजकीय विद्यालयों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना।
- * राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 के पश्चात् विद्यालय परित्याग दर को कम करना।
- * राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक ठहराव में वृद्धि करना।
- * राजकीय विद्यालयों की गुणवत्ता को बढ़ाना।

छात्रवृत्तियाँ :

राजस्थान में कुल 5471 विद्यार्थियों को NMMS परीक्षा योजना के अंतर्गत 1000 रु. प्रतिमाह की दर से चार वर्ष तक निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर छात्रवृत्ति दी जाती है।

आरक्षण :

एन.एम.एम.एस. स्कीम के अंतर्गत राज्य के मानदण्डानुसार आरक्षण होता है जिसमें 3 प्रतिशत आरक्षण निःशक्त वर्ग का भी होता है।

चयन प्रक्रिया :

N.M.M.S. परीक्षा राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 अध्ययनरत छात्रों हेतु आयोजित की जाती है। जिसमें मेट व सेट दो प्रश्न-पत्र होते हैं। सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (मेट व सेट मिलाकर) 40 प्रतिशत व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 32 प्रतिशत निर्धारित हैं।

पात्रता :

- * केवल राजकीय विद्यालय के वे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण कर हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत/तृतीय भाषा विषयों में समग्र रूप से सामान्य वर्ग हेतु 55 प्रतिशत एवं अधिक अंक प्राप्त किए हों तथा SC/ST हेतु यह सीमा 50 प्रतिशत होगी।
- * वर्तमान में केवल राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए।
- * अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1,50,000 रु. से अधिक नहीं हो।

छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अर्हताएँ :

- * कक्षा 8 से 12 तक राजकीय विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए।
- * सामान्य वर्ग के विद्यार्थी ने कक्षा 8, 9 एवं 11 में 55 प्रतिशत तथा कक्षा 10 में 60 प्रतिशत प्राप्तांक प्रथम प्रयास में अर्जित किए होने चाहिए। SC/ST के विद्यार्थियों के लिए इनमें 5 प्रतिशत की छूट है।
- * छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस.बी.आई.) में खाता खुलवाना होता है तथा MHRD द्वारा एस.बी.आई., नई दिल्ली के माध्यम से सीधे ही बच्चों के खातों में छात्रवृत्ति जमा करायी जाती है।
- * चयनित विद्यार्थी को अपना आधार कार्ड बनवाना अति आवश्यक है।
- * विद्यार्थी के बैंक एकाउण्ट नम्बर व आधार कार्ड नं. की सीडिंग D.E.O. द्वारा कराना अनिवार्य है।
- * विद्यार्थी कोई नौकरी/व्यवसाय नहीं कर रहा हो।
- * यदि कोई विद्यार्थी एडमिशन/रजिस्ट्रेशन के एक महीने बाद अध्ययन छोड़ देता है तो उसे छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाता है।
- * विद्यार्थी समय-समय पर खाते में लेन-देन जारी रखे जिससे उसका खाता बन्द नहीं हो और छात्रवृत्ति नियमित रूप से एसबीआई नई दिल्ली द्वारा जमा कराई जा सकें।

- * एमएचआरडी एवं एसबीआई नई दिल्ली द्वारा पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति की स्वीकृति की एक प्रति एसआईआईआरटी उदयपुर को प्रेषित की जाती है।
- * छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक पात्रता एवं शर्तें पूर्ण नहीं करने पर एक बार छात्रवृत्ति बन्द होने पर वापस अगले वर्ष में प्रारम्भ नहीं की जा सकेगी।

परीक्षा योजना :

इस परीक्षा हेतु दो प्रश्न-पत्र होंगे। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम कक्षा 7 एवं कक्षा 8 स्तर के अनुसार होगा।

मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)— इसमें मानसिक योग्यता से 45 प्रश्न, अंग्रेजी से 20 प्रश्न व हिन्दी से 25 प्रश्न होंगे।

शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)— इसमें विज्ञान से 35 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान से 35 प्रश्न व गणित से 20 प्रश्न होंगे।

क्र.सं.	प्रश्न-पत्र	समय	पूर्णांक	प्रश्नों की सं.
1.	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	90 मिनट	90	90
2.	शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90 मिनट	90	90

परीक्षा का आयोजन :

NMMS परीक्षा का आयोजन सामान्यतः नवम्बर माह के द्वितीय/तृतीय रविवार को होता है इस वर्ष **18 नवम्बर, 2018** को 11 AM से 2.30 PM इसका आयोजन किया जाएगा।

परीक्षा हेतु विज्ञप्ति :

विज्ञप्ति का प्रकाशन जुलाई माह के अंतिम सप्ताह/अगस्त प्रथम सप्ताह तक समाचार पत्र एवं नेट पर किया जाता है।

आवेदन करने की प्रक्रिया :

- * आवेदन पत्र राज्य के सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा नेट से डाउनलोड भी किये जा सकते हैं। वेबसाइट : education.rajasthan.gov.in/siert, education.rajasthan.gov.in/secondary
- * विद्यार्थी जिस विद्यालय में अध्ययनरत है वहाँ के विद्यालय के संस्था प्रधान के पास उक्त परीक्षा से सम्बन्धित भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि 11 सितम्बर, 2018 है। विद्यार्थी चाहें तो दिनांक 13 सितम्बर, 2018 तक सीधा आवेदन पत्र जिले के निर्धारित परीक्षा केन्द्र को भी जमा करवा सकते हैं।